whether that side of the House or this side of the House, all of us are aware of India's diversity, culturally or otherwise. And it is indeed the very strength of the Indian Union. The National Democratic Alliance and its commitment to India's diversity is unambiguous. I stated it clearlyb because there is no ambiguity in that regard. The hon. Leader of the Opposition referred to a newspaper report. This newspaper report also indicates that the District Collector concerned has said that there is no permission being granted. The District Collector, in fact, has been reported as saying, 'no permission has been granted.' Therefore, I share the hon. Leader of the Opposition's viewpoint that in this House or in the other House, we should not say anything that inflames passions. ...*(Interruptions)*... We should not say anything that inflames passions. In a similar way, we should not cry fire when there is no fire. I therefore, assure the hon. Members that the commitment of this Government is clear and total peace and harmony shall be maintained. There is no doubt that it has already received the attention of the Union Home Ministry and it is mindful of what the hon. Members have said again and particularly what the hon. Leader of the Opposition has said. I shall bring it to the notice of the Home Minister. I have no doubt in my mind that the Home Minister will take appropriate action to ensure that communal harmony is not disturbed. That is what I have said even earlier; this is what I am saying even now; and, this was stated yesterday. Our position remains unaltered. We are committed to maintain peace and harmony. The Home Minister, I have no doubt in my mind, who is mindful of his responsibilities, will take corrective measures. ...*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Now calling attention. ...*(Interruptions)*...

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Plight of Soyabean growers and Soyabean processing industry following the crash in prices

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं इस कालिंग अटेंशन के जरिए सोयाबीन के मूल्यों में गिरावट के कारण सोयाबीन उत्पादकों तथा सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग की बुरी दशा की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): Sir, soybean is one of the major oilseed crops in the country. It is produced

mostly in Madhya Pradesh, Rajasthan and Maharashtra. The prices of soybean had been ruling above the Minimum Support Price (MSP) till last year. One of the reasons for this was the high value derived from export of Deoiled Cake in the international market which was profitable for the soybean processors. Because of decrease in DOC prices, from $ 250 to $140 per MT the soybean industry is finding it difficult to make profits at existing rate of MSP. Hence, there is less offtake of soybean oilseeds by the industry at present.

The Minimum Support Price of soybean has been raised from Rs.795 per quintal in 1998 to Rs.845 per quintal in 1999. Since soybean industry was not willing to pay such heavy price, the Government through its agency, NAFED has been involved in procurement of soybean in Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka of Fair Average Quality (FAQ). The total procurement as on 17.12.1999 is as follows:

1. Madhya Pradesh-2.37 lakh MTs., (2) Rajasthan 0.47 lakh MTs (3) Maharashtra 0.26 lakh Mts. (4) Andhra Pradesh 0.05 lakh MTs, and (5) Karnataka 0.005 lakh MTs. The total comes to 3.155 lakh MTs.

The total procurement is likely to be between 4 to 4.5 lakh MTs. Adequate cash credit limit has been sanctioned to NAFED by RBI for this purpose. One of the problems being faced by the farmers is the availability of soyabean of lower standards than FAQ. As per the FAQ standards, moisture is permitted upto 12 per cent and discoloured soyabean upto 5 per cent. Due to heavy rains at the time of harvesting, the harvested soyabean had moisture content of 15 per cent and discoloured soyabean upto 20 per cent. There was a demand from farmers of Madhya Pradesh in October, 1999, to dilute the FAQ standards so that they could get the same price for this quality of soyabean as of FAQ varieties. Later, in the wake of stoppage of rains and heavy procurement of FAQ varieties of soyabean, this issue has lost its importance.

One of the problems now being faced by the procurement agencies especially in Madhya Pradesh is the disposal of the stocks already procured in view of shortage of storage space and cost involved in transportation to new storage areas. It has, therefore, been decided to start crushing a part of the oilseeds through M.P. Oil Federation on custom hiring basis by paying them Rs. 700 per M.T. as custom hiring charges. An MoU has been

signed between the NAFED and the M.P. Oil Federation in this regard and crushing is being started. Crushing is also proposed through private agencies at these rates. These agencies would be recommended by the State Government. Similar proposals of the Governments of Rajasthan and Maharashtra would be considered when received.

Besides the farmers, the Soya processing industry has also been facing problems. One of the reasons for this is reportedly large-scale import of soya oil in the country and the prices of imported soya oil being less than indigenous oil. Moreover, because of lack of demand and low prices of Indian soya de-oiled cake which was the main source of profit for the soya oil industry, crushing of soyabean is not profitable as reported by them. The Government is taking necessary steps to correct the imbalance between the price of imported soya oil and indigenous production.

Ways and means are being explored to find alternate use of soyabean like use of de-oiled cake for animal feed. This would help in expanding the areas of marketing of the soyabean produce.

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, मध्यप्रदेश देश में सोयाबीन प्रदेश के रूप में जाना जाता है अर्थात् मध्यप्रदेश में सोयाबीन की सब से ज्यादा फसल पैदा होती है । सभापति जी, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा काले व पीले सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य तय किया गया था, मूल्य आयोग द्वारा उस पर गंभीरतापूर्वक विचार न होने से केन्द्र सरकार ने प्रदेश की सिफारिश को नजरंदाज किया जिस का विवरण माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में नहीं दिया है ।

मान्यवर, राज्य सरकार ने वर्ष 1999 के लिए काले सोयाबीन के लिए 975 तथा पीले सोयाबीन के लिए 1075 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा काले सोयाबीन का समर्थन मूल्य 755 रुपए तथा पीले सोयाबीन का समर्थन मूल्य 845 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है जिससे कि वहां के किसान अत्यधिक प्रभावित हुए हैं । महोदय, इस वर्ष मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 52 लाख टन होने का अनुमान है और मंडियों में सोयाबीन की आवक काफी कम भी हो गयी है । मान्यवर, पिछले तीन वर्षों से मध्यप्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन काफी बढ़ा है, लेकिन कीमतों में लगातार कमी आती जा रही है । इसलिए बहुत आवश्यक है कि केन्द्र सरकार के द्वारा सोयाबीन के समर्थन मूल्य पर खरीद की पहल की जाए । मान्यवर, सोयाबीन के उत्पादन से मध्यप्रदेश के कृषकों में तो समृद्धि आई ही है, लेकिन केन्द्र सरकार की नीति के कारण

मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में काफी अफरा-तफरी मची हुई है । कृषकों के लाभांश में भी कमी आई है और कृषक वर्ग भविष्य मे सोयाबीन की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित प्रतीत नहीं हो रहा है । अब यदि सोयाबीन के लिए केन्द्रीय सरकार ने उचित नीतियां निर्धारित नहीं कीं तो भविष्य में कृषक इस फसल को उगाने के लिए उत्साहित नहीं होगा और यह सोयाबीन उद्योग जो कि विदेशी मुद्रा अर्जन करने में एक अहम भूमिका अदा करता है इससे प्रभावित होगा । जहां तक कृषि मंत्री ने अपने वक्तव्य में तेल का जिक्र किया, आवश्यक यह है कि आगातित तेल की मात्रा भी आवश्यकतानुसार निर्धारित की जाए, जिससे खाद्य तेल का जो आयात है, वह जरूरत के अनुसार किया जाए और स्थानीय तेल के उत्पादन में गतिशीलता बनी रहे ताकि कृषकों को इसका उचित भाव मिल सके । केन्द्रीय सरकार द्वारा आयातित खाद्य तेल पर शुल्क बढ़ाने के निर्णय लेने में भी जो विलंब किया गया, उससे तिलहन उद्योग और कृषक बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है ।

मान्यवर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों को सोयाबीन के लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं । अतः किसानों के हित में आवश्यक होगा कि खाद्य तेल पर आयात की दर बढ़ाई जाए, परिष्कृत तेल के, कच्चे तेल के आयात की मांग और पूर्ति की जाए, जिससे कि तेल उद्योग का प्रसंस्करण करने के लिए गतिशीलता बनी रहे । जहां तक माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि वह बहुत कुछ सोयाबीन के उद्योग पर निर्भर हैं तो यह निर्भरता कैसे कम की जाए, इस हेतु भी केन्द्रीय सरकार के द्वारा पहल की जानी चाहिए । उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनमें एक कारण यह है कि औसत गुणवत्ता के नीचे सोयाबीन की उपलब्धता है । इस गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं या क्या प्रयास किए गए हैं और इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या कोई प्रस्ताव सरकार के पास हैं, इस बात का जिक्र भी माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में नहीं किया है । मध्य प्रदेश तेल संघ और नेफेड के बीच एक समझौते ज्ञापन का जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में किया है, लेकिन उसके बाद जो पहल केन्द्रीय सरकार के द्वारा की जानी चाहिए वह पहल नहीं की गई है और जिसके कारण मध्य प्रदेश का किसान भी प्रभावित हो रहा है ।

मान्यवर, किसानों के अतिरिक्त सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया कि इन समस्याओं का निदान किस प्रकार से निकाला जा सकता है । जब आपको ऐसा आभास है तो उसके निदान के बारे में भी सरकार की तरफ से पहल की जानी चाहिए क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ऐसे प्रदेश हैं, जहां

सोयाबीन की पैदावार काफी अधिक होती है । सरकार की इस नीति की वजह से मध्य प्रदेश में किसानों की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वह इस बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं कि भविष्य में सोयाबीन का उत्पादन करें या न करें । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से कोई समुचित पहल करेंगे और ऐसा निदान निकालेंगे कि इन राज्यों के किसान सोयाबीन बोने के लिए उत्साहित होंगे । धन्यवाद ।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : सभापति महोदय, श्रीमान् पचौरी जी ने जो प्रश्न यहां खड़ा किया है, मैं उससे सहमत हूँ क्योंकि हमारे देश में यह एक समस्या खड़ी हो गई है । सोयाबीन राजस्थान में भी काफी पैदा होता है, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा प्रदेश है जहां इसकी उत्पादकता होती है ।

महोदय, मैं एक मूल प्रश्न पर अपने विचार रखने के लिए यहां खड़ा हुआ हूँ । यह जो आयात और निर्यात का सवाल है, मैं इस पर अपने थोड़े से विचार आपके सामने रखना चाहूंगा जहां तक किसानों का सवाल है और जहां तक तेल उत्पादन करने वाले उद्योग का सवाल है, यह बिल्कुल सही है कि आज किसान परेशान है, और तेल उद्योग में लगा हुआ तेल उद्योगपति परेशान है । उसका कारण स्पष्ट है कि किसान को अपनी लागत मूल्य से कम दाम मिल रहे हैं । इसलिए वह सोयाबीन की खेती करने में निरुत्साहित हो रहा है और उद्योग इसलिए परेशान है क्योंकि तेल का आयात अधिक हो गया है । उसके कारण मार्केट में उसके भाव गिरते जा रहे हैं । सभापति महोदय, ये दोनों स्थितियां विसंगति पैदा करती हैं । किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसको अपना लागत मूल्य तक नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ यदि हम तेल का आयात अधिक कर लेते हैं तो तेल बाजार में उसका भाव गिरता जाता है, जिसके कारण उद्योगपति परेशान हैं । इन दोनों विसंगतियों को सरकार किस प्रकार दूर करेगी, सरकार के सामने यह गंभीर चिंता का प्रश्न है ।

सभापति महोदय, आज सभी प्रकार की चीजों का आयात होने लग गया है । महोदय, यह आपकी जानकारी में होगा और यह सदन भी जानता है कि आज हमारे देश में बहुत सारी चीजें आयात होने लग गई हैं । कपास हमारे देश में पैदा होती है लेकिन कपास का आयात हो रहा है । आज हम तिलहन और तेल अपने देश में पैदा करते हैं लेकिन प्रचुर मात्रा में इनका भी आयात होने लग गया है । आज हम चावल और गेहूं में सेल्फ-सफिशियेंट हैं लेकिन चावल और गेहूं का भी आयात होने लग गया है । महोदय, आज आयात की सीमा तो रही नहीं है । उस हालत में जब हम लिब्रलाइजेशन को ऐडॉप्ट कर चुके हैं तो हमारा किसान चाहे वह तिलहन पैदा करे, चाहे वह गेहूं या चावल पैदा करे, आज वह दुनिया के मार्केट के अंदर पिछड़ा हुआ है । जो दूसरे देशों के किसान हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके सामने हमारे किसान की

तकनीकी गुणवत्ता, उसको दी गई सहूलियतें और उसकी व्यावसायिकता कहीं नहीं ठहरती । हम यह जानते हैं कि हमारे देश का किसान उसके समकक्ष नहीं है । महोदय, हमारे किसान की उत्पादकता गिरती ही चली जाएगी क्योंकि वह वर्ल्ड के कंपीटीशन के सामने नहीं ठहर सकेगा ।

इसलिए यहां तीन मूल प्रश्न पैदा होते हैं । पहला प्रश्न यह है कि क्या हम निर्बाधित रूप से आयात करते रहें ? जब हमारे देश में इसका उत्पादन अच्छी मात्रा में हो रहा है, इसके बावजूद भी क्यों हम आयात करने के लिए बाध्य हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि यदि हम आयात करते जाएंगे तो हम अपने किसान को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकेंगे ? उसके इंट्रस्ट की देखभाल की क्षमता हम में बचेगी ? तीसरा प्रश्न यह है कि तेल उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं और तेल का उत्पादन कर रहे हैं, अब तक जो अपने देश में तेल सप्लाइ कर रहे हैं, वह तेल उद्योग भी इससे प्रभावित होगा तो उसके हितों की रक्षा कैसे होगी ?

महोदय, इस तरह इससे किसान प्रभावित होगा, तेल उद्योग प्रभावित होगा और उसके बाद आयात के कारण विदेशी मुद्रा का क्षरण भी होगा । इन तीनों चीजों का नुकसान उठाकर आखिर सरकार की ऐसी क्या बाध्यता है कि वह कपास का भी आयात करे, तेल और सोयाबीन का भी आयात करे और ये सारी चीजें आयात करते-करते हमारे देश का किसान, हमारे देश का उद्योग कहां पहुंचेगा ? मंत्री महोदय के सामने यह बड़ा विकट प्रश्न है जिसका उत्तर उन्हें बड़ी गंभीरता से और चिंतन करके देना पड़ेगा । महोदय, यह एक बहुत बड़ी समस्या है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम किसान को उस तकनीक तक नहीं पहुंचा देते कि वह दुनिया के दूसरे किसानों के साथ मुकाबला कर सके, तब तक अपने किसान को प्रोटेक्ट करना मुझे आवश्यक दिखाई देता है । यदि हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे तो किसान निरुत्साहित होगा और फिर वह तिलहन पैदा नहीं करेगा किसान फिर चावल पैदा नहीं करेगा । वह खाने के लिए अनाज पैदा नहीं करेगा और उसका रोजगार खत्म हो जाएगा और फिर सारे देश में एक प्रकार की अव्यवस्था दिखाई देगी । उसका निराकरण हम कैसे कर पाएंगे ? इन सारे प्रश्नों का समाधान यही है कि आयात पर हमें रोक लगानी चाहिए या उस पर ड्यूटी बढ़ानी चाहिए ताकि हमारे देश का उद्योग जो मूल रूप से हमारी अपनी आवश्यकताओं के लिए सफिशियेंट दिखाई देता है, उसकी रक्षा हो सके । आवश्यकता पड़े तो हमें आयात भी करना चाहिए, वह बात समझ में आती है, लेकिन हमें उस आयात की सीमा को निर्धारित करना चाहिए और उससे ऊपर अगर कोई इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर कुछ न कुछ ड्यूटी में वृद्धि होनी चाहिए ताकि किसानों और यहां के उद्योगों का संरक्षण हो सके । मैं यह नहीं कहता कि कोई सब्सिडी दी जाए, मैं यह नहीं कहता कि

उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन दिया जाए लेकिन सिद्धांततः यह बात माननी पड़ेगी कि हमारा किसान आज दुनिया के किसानों के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। वह न तो पढ़ा-लिखा है, वह न उतना सक्षम है, न उसके पास साधन हैं और न उसके पास पैसा है। इस दृष्टि से सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी परिस्थितियों का सामंजस्य करके और कुछ निर्णय करें ताकि किसानों और उद्योगों को बचाया जा सके। धन्यवाद।

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Sir, the hon. Minister, in his statement, has stated that the prices of soyabean have gone down during the last one year or more. In the same way its demand has also gone down. The reasons stated are: Large-scale import of soyabean oil into India; with the export of Deoiled Cakes to South-East Asian and East Asian countries, India's exports to these countries has been considerably reduced. Another point stated by him is that even the soyabean of lower standards than FAQ, is not being sold at a fair price.

Among the solutions suggested by the hon. Minister is that, the Soyabean has to be purchased at the floor price. But the point is that, the Madhya Pradesh Government agencies engaged in purchasing these have already incurred a loss of Rs.350 crores during the last one year. That is what I have seen in the papers. That means, even though you say that the soyabean should be purchased, at least, at the floor price, the agencies carrying on the operations are unable to do so because they are already incurring terrible losses. Secondly, these agencies are unable to purchase whatever quantity that comes to the market. In general, 10,000 tonnes of soyabean comes to the market daily, but only 3,000 tonnes of soyabean is purchased. That means, there remains a huge backlog. Naturally, the farmers will be forced to resort to distress sales. Sir, the farmers engaged in cultivating soyabean have rendered a unique service to the country by reducing the scarcity of soyabean oilseeds, thereby saving a huge amount of foreign exchange that would have been otherwise spent for the purpose. Therefore, I demand that the Government should

have a fresh look at it and ensure that whatever soyabean is brought to the market is purchased at the floor price by the agencies that will be set up by the Central and State Governments.

Secondly, the Government should take a decision on the lower than F.A.Q. standard soyabean. I hope the scientists would suggest some remedies to reduce the damage to soyabean during the rainy season. But, at the same time, whatever product is there, some reasonable price will have to be paid . The Minister has not said anything about it in his statement. He has only stated the problem.

Then, another thing is, at present, the soyabean is being used mainly for oil purposes. But there is a proposal that this could be utilised for making other products, value-added products, including various food items. The Government should also consider whether some such proposal can be worked out. A scheme can be formulated ; and it should be implemented. In that case , the farmers can be helped to a great extent.

Therefore, once again I request the hon. Minister to have a relook at the whole problem and find out some solution to the problem. That is all.

SHRI KHAGEN DAS (Tripura): Mr. Chairman, Sir, the soyabean experience shows that it has become a regular feature of the country's agricultural and trade policies in relation to several crops. In each of these cases, the domestic production can be increased; and self-sufficiency can also be attained. Instead, the Government is encouraging imports which has resulted in the domestic production remaining unsold and the domestic price collapsing. The Government has to decide whether it still continues to believe in self-reliance or is keen on destroying domestic production by allowing imports. Now, I want to know from the hon. Minister - when it has been reported that more than 40 per cent of the soyabean stock was still lying with the peasantry --why the Government has allowed the import of soyabean. If there is a shortage of edible oil in the country, then, why couldn't you encourage and support the soyabean producers and the edible oil industry ? May I know from the hon. Minister what are the support and encouragement given to the oil industry and the soyabean producers in relation to production and productivity, extending financial assistance by why of subsidy under the Centrally-sponsored oil production scheme which was earlier taken up by the Government? Is it a fact that this year the soyabean producers were forced to sell their produce at a lesser price than the Minimum Support Price? Although the Minister has said in his statement that the Minimum Support Price of soyabean has been raised from Rs.795 per quintal in 1998 to Rs.845 per quintal in 1999, the fact

remains that the peasants, at that time, were getting more than Rs.1,000 per quintal in the market. May I know from the Agriculture Minister whether the peasantry was forced to make distress sale? In his statement, the Agriculture Minister has also stated that adequate cash credit limit has been sanctioned to the NAFED by the Reserve Bank of India for this purpose. But it has been reported in the press that the NAFED was not given adequate funds and guidance to procure soyabean from the peasants. So, I also want to know from the Minister as to what the role of NAFED is in this regard. Now, it is reported that on an estimate, about 37 to 38 lakh tonnes of soyabean is lying with the farmers as well as traders. It was suggested earlier to the Government to build up a buffer stock so that it can release it during the lean season at a higher price. Besides, the Government can also consider increasing import duty on soyabean oil to protect the domestic processors. It has been reported in a statement that the demand is not so high. But in press report, it has been stated that the U.S. soyabean companies, trying to promote "goodness of soya" are targeting India, a country where the sky is the limit in terms of market potential. So, it the import duty is considered, then the soyabean growers may get remunerative prices for their produce and the oil industry could also become viable. Now, I want to know the reaction of the Minister on this count.

Is it a fact that the Union Government has decided to introduce a uniform sales tax at the rate of four per cent on vegetable oils and oil cakes from January 1, 2000? Vegetable oil is an essential item of mass consumption and a tax of four per cent on it would directly hit the consumers as the prices of edible oil would increase due to this. The imposition of a minimum four per cent slab on these items will be highly detrimental to trade, industry, farmers and consumers. It will give lesser price to farmers, and as a result, the interest of the farmers will be affected, and it would make oils costlier to consumers. Edible oils being an item of mass consumption, they should actually have nil tax in a welfare State. May I know from the Minister whether the Government has taken any decision to impose tax on it? If so, whether the Government would reconsider it and exempt oil and oil-seeds from the purview of the sales tax.

Lastly, the bulk of the country's soyabean output has traditionally been used for extracting oil for domestic use and for exporting the by-products, chiefly soyameal, for use mainly as animal feed. A little attempt has been made to promote soyabean as a human food. Soyabean-based foods are

highly nutritious while being extremely cost effective--just what India needs to feed its ever-growing population. Soya extractions are a very rich and economical source of nourishment and can be utilised to augment proteins and other nutrients, which are generally deficient in the Indian diet. Internationally also, soyabean is very popular and has directly or indirectly become central to diets with hundreds of varieties of tasty and appealing foods. May I know from the hon. Minister what initiatives the Government has taken so far to diversify its product base to widen the market within the country and abroad? Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, there are five, six Members who want to speak, and the Minister has to reply. So far as the time for the Calling Attention is concerned, there are ten minutes more. Either each of you have to complete in one minute, or we have to sit in the lunch.

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, पहले लंच कर लेते हैं ...**(व्यवधान)**

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, हम बोलना चाहते हैं ।

MR. CHAIRMAN: Then you have to sit during the lunch.Only ten minutes are left.

SHRI M. VENKAIAH NAIU (Karnataka): The issue is the same. If the Members can really bear, it will be better because we want to have a reply from the Minister. एक बजे तक रिप्लाई ले लेते हैं ।

MR. CHAIRMAN: That is what I am asking them, whether they can shorten their speeches. The Minister has to reply. Or, we will have to sit in the lunch hour and finish it. यदि मैम्बर एक-एक मिनट तक बोलेंगे तो हो जाएगा ।

श्री संजय निरुपम : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह महाराष्ट्र में भी सोयाबीन का जबर्दस्त उत्पादन होता है । विशेषकर विदर्भ के किसान इस पर आश्रित होते हैं । सोयाबीन उनके लिए कैश क्राप है परंतु जब से सोयाबीन के मूल्यों में गिरावट आई है तब से विदर्भ के किसानों में एक तरह का सन्नाटा छा गया है । उनके घर-खलिहानों में सोयाबीन पड़ा हुआ है, कोई कारोबार नहीं हो रहा है । मंत्री महोदय ने बताया कि नेफेड के माध्यम से खरीद-फरोख्त हो रही है लेकिन इसमें क्या-क्या संकट और प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अभी चार-पांच दिन पहले इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने नागपुर में एक रैली निकाली थी । लगभग एक लाख लोग

उस रैली में आए थे, सोयाबीन और कपास के उत्पादन से जुड़े किसान आए थे । उन्हें पहले नेफेड की जरूरत नहीं पड़ती थी 1000-1200 का भाव था परंतु जब से भाव गिरा है तब से किसानों के सामने यह संकट पैदा हो गया है । नेफेड से किसानों को 800 से 850 के बीच में भाव मिलता है । किसानों के लिए यह घाटे का सौदा है । इससे पहले के वर्षों में जिस भाव पर वे सोयाबीन बेचा करते थे उन्हें वह भाव नहीं मिल रहा है । मंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया है जो 850 है और किसान उस भाव पर बेच भी रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि कैसे और क्यों । नेफेड का पूरे विदर्भ में कोई नेटवर्क नहीं है । पूरे विदर्भ में एकमात्र अधिकारी है, जिनका नाम श्री तिवारी जी है, वे भी नागपुर के एक लॉज में रहते हैं । उनके पास कोई कार्यालय नहीं है । नेफेड का कार्यालय मुंबई में है जब कि सोयाबीन के उत्पादन का काम, प्रोसेसिंग का काम तथा उसका सभी कुछ विदर्भ में होता है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे सबसे पहले नेफेड का कार्यालय विदर्भ में शिफ्ट करने की व्यवस्था करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों, उनके समूहों तक नेफेड पहुंच सके ।

सोयाबीन की खरीद इस समय विदर्भ में नेफेड, तालुका स्तर पर जो खरीद-फरोख्त संस्था है उसके माध्यम से कर रही है नेफेड की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास सेंटरल वेयर हाउसेस हैं किसान अपना माल वहां पर लाएं, सोयाबीन लाएं । मैं बताना चाहता हूं कि पूरे नागपुर जिले में सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ चार वेयर हाउसेस हैं, केवल चार तालुकाओं में वेयर हाउस हैं । एक तालुका दूसरी तालुका से सौ-डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी पर है । यदि एक किसान, किसी तालुका का, जहां पर वेयर हाउस नहीं है, वहां से अपना माल लेकर जाना चाहता है तो उसे कम से कम डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है । कई बार किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे वहां जा सकें इसलिए वे बिचौलिए के चक्कर में आ जाते हैं और बिचौलिए चार सौ, पांच सौ के भाव पर किसानों का माल खरीद रहे हैं । अतः आपको उन्हें रोकने की दिशा में तत्काल कोई कदम उठाना चाहिए।

मोइस्चराइजर के बारे में मंत्री जी ने बताया कि 12 परसेंट तक मोइस्चराइजर मुकर्रर किया गया है लेकिन विदर्भ के सोयाबीन का मोइस्चराइजर तो कई बार 12 परसेंट से ज्यादा हो जाता है । अगर मंत्री जी 12 परसेंट तक की बात कर रहे हैं, नेफेड के लिए, तो विदर्भ के किसानों के सामने संकट यह है कि मोइस्चराइजर 12 परसेंट तक लाने के लिए सोयाबीन सुखाना पड़ता है और जो उपलब्ध सोयाबीन है उसे सुखाने में दो-तीन महीने लग जाते हैं । किसी भी किसान से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अपनी कैश क्राप को तीन महीने तक अपने घर के सामने सुखाए और उसके बाद बेचे, नेफेड के पास लेकर जाए । निश्चित तौर

पर आपकी जो मोइस्चर की गाइडलाइंस हैं वह अव्यावहारिक दिखाई दे रही हैं । मोइस्चर की मर्यादा को कहीं न कहीं बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिये । उसी प्रकार सोयाबीन के रंग के बारे में मंत्री महोदय ने बताया कि दो रंगों का सोयाबीन होता है । एक है काला रंग और दूसरा पीले रंग का सोयाबीन होता है । विदर्भ में एक सोयाबीन पैदा होता है जिसका हरा रंग होता है और यह बड़े पैमाने पर पैदा हो रहा है । हरे रंग के सोयाबीन को खरीदने के लिए कोई गाइडलाइन नेफेड के पास नहीं है । किसान हरे रंग का सोयाबीन लेकर बैठा हुआ है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है । निश्चित तौर पर नेफेड के पास अपना एक सिस्टम है, गाइडलाइन है । आप उसमें थोड़ा सा संशोधन करके विदर्भ में हरे रंग के सोयाबीन का जो उत्पादन हो रहा है, उसको खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिये । मैंने आपके सामने तीन चार मांगें रखी हैं । सब से पहले नेफेड का नेटवर्क विदर्भ में तैयार हो जो तालुका स्तर पर जाना चाहिये और हर तालुके का किसान अपने मुख्यालय पर जाए और वहां पर अपना माल बेच सके । इसके लिए जरूरी है कि वहां पर वेयर हाऊसेज़ का इंतज़ाम किया जाए । जहां तक मोइस्चर का सवाल है, मोइस्चर की मर्यादा को बढ़ाने की कोशिश करें । जब तक मोइस्चर की मर्यादा नहीं बढ़ाएंगे तब तक सारे विदर्भ का किसान तकलीफ में रहेगा । अपना माल बेच नहीं सकेगा । जो रंग से जुड़ा हुआ मामला है कि हरे रंग का सोयाबीन बड़ी मात्रा में वहां पर पैदा हो रहा है। उस सोयाबीन को खरीदने की व्यवस्था भी की जानी चाहिये । इम्पोर्टेड सोया आयल की जो बात आपने बताई कि इम्पोर्टेड सोया आयल सस्ता पड़ता है, डोमेस्टिक सोया आयल की तुलना में, तो निश्चित तौर पर इसको रोकने का इंतज़ाम करें । हो सकता है कि इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्युटी बढ़ाई जानी चाहिये ताकि जो डोमेस्टिक सोया आयल है, उसको सही मार्किट मिल सके और कम्पेटेटिव मार्किट मिल सके । महोदय, आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में एक बार इतना गन्ना पैदा हो गया कि कोई खरीदार नहीं था और किसानों को अपना गन्ना जलाना पड़ा । महाराष्ट्र में भी किसानों को यही संकट फेस करना पड़ रहा है । अभी दो तीन दिन पहले यवतमाल के एक किसान ने आत्महत्या की है । इसी तरह से अगर सोयाबीन पैदा करने वाले किसानों की तकलीफ की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद एक दो हफ्तों में आपके पास यह समाचार भी आ सकता है कि नागपुर, यवतमाल, अकोला, वर्धा या बुलढाना के किसी काश्तकार ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित सोयाबीन को खरीदने वाला इस देश मे कोई नहीं था । मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि विदर्भ के किसानों, विशेषकर सोयाबीन के उत्पादक जो किसान हैं, उनकी अपनी विशेष समस्याएं हैं, विशेष संकट हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए ।

1.00 PM

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, जहां तक यह मसला जो सोयाबीन के संबंध में उठाया गया है, यह कोई अलग-थलग मुद्दा नहीं है । यह सरकार की सारी की सारी नीतियों से भी संबंधित मुद्दा है । इस दृष्टि से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इस सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं । किसान विरोधी नीतियों के कारण इस ढंग की घटनाएं हो रही हैं । हमारा किसान परेशान है । अगर अपने सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भी देखें तो हमारा जो कृषि का योगदान रहा है, वह निरंतर घटता जा रहा है । पिछले 20-25-30 सालों से निरंतर सकल घरेलू उत्पाद में हमारी कृषि का योगदान कम होता जा रहा है । उसका स्पष्ट कारण है कि हमारे किसान को प्रोत्साहन नहीं है । जो भी नीतियां सरकार की चल रही हैं, वह नीतियां किसानों को हतोत्साहित करने वाली हैं, उनको प्रोत्साहित करने वाली नहीं हैं । चाहे सब्सिडी का मामला हो, हमारे देश में किसानों को 5 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है ।

श्री सभापति : आप सोयाबीन पर बोलिये ।

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, मैं आ रहा हूं ।

श्री सभापति : जनरल एग्रीकल्चर पर नहीं बोलिये ।

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, यह सब चीज़े अलग-अलग नहीं हैं ।

श्री सभापति : यह सोयाबीन का मामला है । सोयाबीन पर कालिंग अटेंशन है । एग्रीकल्चर पर डिसकशन नहीं है ।

श्री रमा शंकर कौशिक : नहीं नहीं, यह डिसकशन जो चल रहा है इसमें सोयाबीन के आयात का मामला भी है जो आयात नीति से संबंधित है। हम आयात कर रहे हैं ।

श्री सभापति : आयात की बात कहिये, एग्रीकल्चर की बात नहीं ।

श्री रमा शंकर कौशिक : आयात की बात कर रहा हूं । मैं इसी पर आ रहा हूं । जो इनकी किसान संबंधी नीतियां हैं चाहे वह धान की हो, गेहूं की हो, सोयाबीन की हो ...

श्री सभापति : सोयाबीन की बात कीजिये ।

श्री रमा शंकर कौशिक : हमारे यहां तेल का आयात हो रहा है, गेहूं का आयात हो रहा है, उसका असर क्या यहां के किसान पर नही पड़ेगा ? सारी चीज़ें किसानों से संबंधित हैं । चीनी का आयात हो रहा है ।

श्री सभापति : हम किसान पर डिसकशन नहीं कर रहे हैं । जो कालिंग अटेंशन है, जिस पर आपने भी साइन किये हैं, वह सोयाबीन के बारे में है ।

श्री रमा शंकर कौशिक : मैं सोयाबीन पर आ रहा हूं। आयात नीति के मामले में रामदास अग्रवाल जी ने एक बात का जिक्र किया। हम सोयाबीन के तेल का आयात कर रहे हैं। खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं। सोयाबीन का तेल भी खाने के काम में आता है। सरसों का तेल हम आयात कर रहे हैं और किसान उससे हतोत्साहित होता है। सोयाबीन वाले मामले में भी सोयाबीन का तेल भी आयात कर रहे हैं। जब इनकी आयात नीति ऐसी है तो किसानों की हालत तो, श्रीमन, खराब होनी ही है। वह चाहे सोयाबीन बोता हो, चाहे सरसों और चाहे तिलहन बोता हो उसकी स्थिति तो खराब होगी ही - जब हमारी आयात नीति इस प्रकार की है। श्रीमन, सोयाबीन से बहुत चीजें बनती हैं और बनायी जा सकती हैं। बहुत प्रोटीन उसमें होता है। उसका दूध भी बनता है। उसकी और चीजें भी बनती हैं। तो सरकार से हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस दिशा में क्या किया है? क्या उसके लिए कुछ इन्होंने योजना बनायी है जिसके तहत सोयाबीन से और उत्पाद हो सकते हैं। इस पर सरकार कुछ विचार करेगी या नहीं करेगी?

दूसरा, आयात नीति अपने देश के लिए हर मामले में बहुत ही खतरनाक साबित होती जा रही है - चूंकि हम लोग बहुत चीजों का आयात कर रहे हैं। जो साबुन बनाने का तेल है उसको भी आयात कर रहे हैं जो हमारे यहां पैदा हो सकता है। जो और चीजें हैं वे भी आयात कर रहे हैं। जो तेल हम आयात कर रहे हैं उसका सोयाबीन पर भी असर पड़ रहा है, और दूसरी चीजों पर भी असर पड़ रहा है। तो सरकार को सोयाबीन वाले मामले में - जो उसके दूसरे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं - उस पर गहनता से विचार करना चाहिए और आयात नीति पर भी गहनता के साथ विचार करना चाहिए और जो ....

MR. CHAIRMAN: Now, it is 1'0 clock. We will continue with the discussion.

श्री रमा शंकर कौशिक : बिचौलियों के जरिए से खरीद कराने की बात होती है, चाहे नेफेड हो, चाहे एफ.सी.आई. हो। हर दिशा से किसानों के मामले को देखिए। पिछले साल का भी हमें अनुभव है। श्रीमन, सबको अनुभव है कि ड्राप्सी रोग हुआ। उसमें भी तेल का आयात इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में किया और विदेशी कंपनियों को इन्होंने लाइसेंस दिया, उस आयात को करने में और उस तेल को बेचने के लिए जबकि हमारे यहां उस साल सरसों अच्छी हुई थी, हमारे यहां सोयाबीन अच्छा हुआ था । लेकिन उसके बावजूद भी भारी मात्रा में तेल आयात किया गया और उन विदेशी कंपनियों ने उस तेल को बेचने के लिए इस ढंग से षडयंत्र किया

कि हमारे यहां ड्राप्सी को लेकर तेल आया और उससे रोग फैला। तो श्रीमन्, इन सारी बातों का असर हमारे किसानों पर बुरे तरीके से पड़ रहा है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उदारवादी दृष्टिकोण के कारण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाइसेंस देने के कारण जो समस्याएं पैदा होती जा रही हैं जब तक उनका उपचार नहीं करेंगे ये समस्याएं बढ़ती रहेंगी, घटेंगी नहीं और हमारा किसान चाहे सोयाबीन बोता हो चाहे कोई और तिलहन बोता हो, वह परेशान होता रहेगा। धन्यवाद।

श्री नरेश यादव (बिहार) : सभापति महोदय,

श्री नीतीश कुमार : सोयाबीन उत्तर प्रदेश में होता है।

श्री नरेश यादव : बिहार में सोयाबीन होता नहीं है लेकिन बिहार इस देश का हिस्सा है और इस सदन में जब मैं खड़ा हूं तो देश के सवाल पर बोलने का अधिकार मुझे है। इस हैसियत से मैं अपनी बात कह रहा हूं। अगर बिहार देश से अलग माननीय मंत्री जी समझ रहे हों तो अलग बात है कि वहां नहीं होता इसलिए मैं नहीं बोलूंगा।

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): नीतीश जी का ऐसा मतलब नहीं था।

श्री नरेश यादव : मैं संक्षेप में एक-दो बातें ही कहूंगा। सोयाबीन एक बहुपयोगी फसल है। इसका सिर्फ तेल ही उपयोगी नहीं है जैसे माननीय मंत्री जी ने लास्ट में कहा कि हम इसके और उपयोग के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तेल रहित खली के प्रयोग का पता लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो सोयाबीन एक बहुपयोगी फसल है इसके लिए माननीय मंत्री जी, खाद्य प्रसंस्करण के मामले में इसके और उपयोग के लिए अब तक आपने क्या पता किया है या कृषि विभाग ने इसके लिए क्या पता किया है? इसका आप क्या उपयोग करने जा रहे हैं जिससे कि किसानों की जो हालत आज हो गयी है कि किसानों को इन प्रदेशों - मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक - में समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है, वह न हो? मंडी में सोयाबीन के बोरे के बोरे पड़े हैं और लेने वाला कोई नहीं है, हालत यह है महोदय। आज से कुछ दिन पहले भी सदन में जब गेहूं विदेशों से सस्ता पड़ रहा था तो आपने उस पर 50 परसेंट उत्पाद कर लगा दिया। आज़ भी आप कह रहे हैं कि इस का कारण देश में बड़े पैमाने पर सोयाबीन का आयात किया जाना है और आयातित सोया तेल की कीमत स्वदेशी तेल से कम है । तो जब स्वदेशी तेल से आयातित तेल की कीमत कम है और स्वदेशी का नारा लगाने वाली सरकार के आप सहभागी हैं तो स्वदेश को मजबूत करने के लिए आप आज ही सदन में आयातित तेल पर उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा करें जिस से कि किसान जो इस देश की रीढ़ हैं, वे सोयाबीन का सही मूल्य प्राप्त कर सकें ।

महोदय, मैं एक बात और आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप सोयाबीन का कौन सा दूसरा उपयोग करने जा रहे हैं ? आप कह सकते हैं कि हमारे जिम्मे फूड प्रोसेसिंग विभाग नहीं है ....

श्री नीतीश कुमार : है ।

श्री नरेश यादव : तो आप उस हैसियित से भी घोषणा करें कि सोयाबीन का और क्या उपयोग आप करने जा रहे हैं ? यही मुझे जानना है । सभापति जी, आप ने समय दिया इस के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री गांधी आजाद (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद, महोदय । महोदय, मंत्री महोदय द्वारा 17.12.99 तक का दिया गया सोयाबीन की खरीद का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है : मध्यप्रदेश में 2.37 लाख मीट्रिक टन, राजस्थान में 0.47 लाख मीट्रिक टन, महाराष्ट्र में 0.26 लाख मीट्रिक टन, आंध्रप्रदेश में 0.05 लाख मीट्रिक टन और कर्नाटक में 0.005 लाख मीट्रिक टन । इस प्रकार कुल 3.155 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद का ब्यौरा दिया गया है और इस साल कुल खरीद 4 से लेकर 4.5 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है । महोदय, लेकिन मंत्री जी द्वारा उत्पादन का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है जिस से यह स्पष्ट हो सके कि इतना सोयाबीन खरीदने के बाद किसानों के पास कितना सोयाबीन शेष रह जाएगा । इसलिए मैं उत्पादन का भी स्पष्ट ब्यौरा जानना चाहूंगा । साथ-ही-साथ मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या हम अपने देश में उत्पादित सोयाबीन से देश की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ हैं और यदि हम अपने देश की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ हैं या सक्षम हैं तो आयात क्यों किया जा रहा है ? फिर जब आयात किया भी जा रहा है तो आप को मूल्य में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आयात शुल्क में वृद्धि करनी चाहिए और यदि ऐसा करना किसी कारणवश संभव नहीं है तो हमारे देश में सोयाबीन का उत्पादन करने वाले किसानों को कोई-न-कोई संरक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए । धन्यवाद ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (उत्तर प्रदेश) : सर, इस देश में सदियों से किसान की बदकिस्मती रही है कि जब भी उस ने ज्यादा अनाज पैदा किया, देश को अकाल की स्थिति से मजबूती से निकाला तब भी उसे प्रोत्साहन, इनाम या शाबाशी के बजाय सजा मिली है और मंत्री जी का स्टेटमेंट इस बात का इकबाल करता है कि उसे सजा ही मिल रही है । हमारे अति-योग्य मंत्री महोदय ने अपने बयान में कहा है कि :"One of the problems being faced by the procurement agency, especially in Madhya Pradesh, is the disposal of stocks already procured in. They are short of storage capacity." सर, इस हाउस में बारबार इस मुद्दे पर बहस हुई है और मैं विषय से बाहर नहीं

जाता, लेकिन चाहे चावल का मामला हो, वीट का मामला हो या कपास का मामला हो, उस दिन भी खाद्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारे भंडार भरे पड़े हैं। उनके पास वेयर हाऊसिंग कैपेसिटी नहीं है और भी कारण रहे हैं । विदेशी मंडी में डी ओएल्ड केक भाव खराब कर गया, इसकी जानकारी आपके पास नहीं। हम इस पर बहस नहीं करते । आपने कोशिश की । आप कह रहे हैं कि लो-स्टैंडर्ड सोयाबीन ने मण्डी में आकर अच्छे सोयाबीन को खराब कर दिया । ठीक है, यह भी एक प्रोब्लम है, लेकिन इस प्रोब्लम के लिए तो सोचिए कि इस देश में वेअर हाऊसिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है, स्टोरेज कैपेसिटी के बाद किसान को उसकी फसल वहां रखकर उसको अच्छा पैसा दिलाना है । ऐसा न हो कि उसकी मजबूरी हो जाए वह डिस्ट्रेस सेल में सारी फसल को फेंक दे । मैं समझता हूँ कि कम से कम यह चीजें तो आपके हाथ में है, आपको करनी चाहिएं । आपने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कोशिश की । ठीक है, कोशिश की, लेकिन उस कोशिश का फायदा क्या हुआ ? इधर एक तरफ किसान का नुकसान हो गया, जो खरीदी की गई उसकी स्टोरेज इतनी रद्दी, कि उससे देश का नुकसान हो गया ।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर जानना चाहता हूँ कि देश में सोयाबीन समेत अन्य फसल के स्टोरेज की अवेलेबिलिटि न होने की वजह से जो किसानों का और देश का नुकसान होता है उसके बारे में क्या कोई विशेष योजना बनाए जाने पर आपके द्वारा सोचा जा रहा है ? धन्यवाद ।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Hon. Chairman, Sir, this is an issue which not only affects the various States, but it also affects the foreign exchange earnings of our country. In the beginning of 1980, the World Bank had predicted that within a decade, India would import edible oils to the tune of three billion dollars to four billion dollars. But it was belied by our Oilseeds Technology Mission. Now, in recent years, there was development in the crop technology as well as in the post-harvest technology. As a result, there has been an increase in production. In 1984-85, the soyabean oil production constituted only 5 per cent of the total oilseeds production. Now, the soyabean oil production is more than 25 per cent of the total oilseeds production. Quantity-wise, it has gone up from 0.4 million tonnes to 6.2 million tonnes. Now, the prices have affected the wholesale market. The price of soyabean was Rs.1,150 per quintal. Now, it has come down to Rs.750 per quintal. And, it has also affected the export price. Earlier, in 1996-97, the price of soyabean oil was Rs.9,972 per quintal; but now, that is, in 1998-99, the price of it is Rs.5,794

per quintal. We have to find out the root-cause for this. Fifty per cent of the global production belongs to the United States. In the United States, the production of soyabeans was 150 million bushels in 1996; now, in 1999, it has almost trebled. Last year, the soyabean production in the United States was 450 million bushels. Now, there are two things to be observed. One is, the East-Asia's economy is tamed. No.2 is, the European Union has refused to buy the genetically modified soyabean. So, the fact was, the production trebled and 50 per cent of the global production belonged to the U.S., but the market shrunk. Therefore, they tried to find some other markets in Asia. Apart from this, the import duty on soyabean in India was 65 per cent, say, four or five years back; now, the import duty has been reduced to 16.5 per cent. So, by merely offering support price to the soyabean producers, you are not going to solve the problem. Even according to the WTO, -- this is my feeling also -- we can enhance this import duty up to 300 per cent. I want to have a categorical reply from the hon. Minister whether it is possible to increase the import duty on soyabean oil from 16.5 per cent to 300 per cent. If this is done, then, it can help the indigenous market. Otherwise, my apprehension is that the soyabean producers would be starved to death. Even in the statement made by the Minister just now, he has only mentioned about the purchases. But the problem is different. In 1996-97, the soyabean oil purchased by the Government of India was 49,000 tonnes. Now, in 1998-99, the purchases made by us is 8,00,000 tonnes. Sir, the American Soyabean Association, which has its office in Delhi, is trying its best to replace our wheat flour by soyabean. There is a move by that Association. Day in and day out they are working on this. What is the Government going to do on this? So, I would say that even though the Minister has given some piece of information, it is not a comprehensive one. The Minister has to come out with replies on wider questions. I would once again say that unless and until the import duty is enhanced so as to curb imports, the soyabean growers cannot be saved. With these words, I conclude.

कुमारी सरोज खापर्डे : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मुझे बड़ी प्रेरणा मिली आपके अवसर देने के बाद और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपका विशेष धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए । मैं स्वयं काश्त से जुड़ी हुई एक महिला हूं । मैं काश्तकारी करती हूं और अपनी काश्त में सोयाबीन की उपज हमारे यहां ज्यादा

होती है । इसलिए मुझे लगा कि अगर आप मुझे बोलने से वंचित कर देते तो शायद मैसेज गलत जाता, पूरे महाराष्ट्र के लिए और विशेषकर विदर्भ के लिए ।

सभापति महोदय, भारत में प्रतिवर्ष 65 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन होता है और करीबन 58 लाख हैक्टेयर भूमि पर सोयाबीन बोयी जाती है । हम लोग इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोगों का जीवन इसकी खेती पर निर्भर है । महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश के किसानों ने सोयाबीन के बारे में योग्य मूल्य दिलाने के लिए निरंतर मांग की है और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन का उचित मूल्य दिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेजी हैं ।

सभापति महोदय, आज सोयाबीन अधिक संख्या में बोयी जाती है । सबसे अधिक यह मध्य प्रदेश में बोयी जाती है जहां हमारे कुल उत्पादन की 87 प्रतिशत सोयाबीन पैदा होती है मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां सोयाबीन की काफी पैदावार होती है। महाराष्ट्र में करीब 8.5 लाख टन सोयाबीन पैदा होती है और अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, विदर्भ की बात करूं, नागपुर की बात करूं तो 1.5 लाख हैक्टेयर भूमि में सोयाबीन की खेती की जाती है जो कि उक्त पैदावार का अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर सोयाबीन की पौष्टिकता पर विचार करें तो हम यह देखते हैं कि इसमें 40 प्रतिशत प्रोटीन, 24 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, 20 प्रतिशत तेल और 5 प्रतिशत खनिज पाया जाता है। लेकिन हमारे देश में सोयाबीन केवल तेल निकालने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अगर हम सोयाबीन के अन्य उत्पादनों का ठीक प्रकार से प्रचार करें तो यह कई प्रकार से खाने के काम में आ सकता है और मूल्य में भी सस्ता पड़ेगा, ऐसी संभावना मैं समझती हूं। सोयाबीन - सोया दूध, सोया पनीर बनाने के काम भी आ सकता है और सोया आटा, गेहूं के आटे के साथ मिलाकर पौष्टिक आहार भी बन सकता है। परन्तु यह अत्यन्त दुख की बात है कि पिछले कई वर्षों की खुशहाली जो सोयाबीन के किसानों ने देखी थी वह अब वास्तविक बरबादी के कगार पर खड़ी है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको अपने नागपुर -विदर्भ के बारे में कह सकती हूं कि पिछले वर्ष सोयाबीन के दाम 1250 रुपए, 1300 रुपए, 1400 रुपए तक पहुंचे थे। अब की बार सोयाबीन की फसल जरूर आई है लेकिन अगर आप दाम देखें तो इसके मूल्य 700 रुपए, 800 रुपए के ऊपर नहीं जा रहे हैं। कई लोगों ने इस आशा में अपने सोयाबीन को खलिहानों से निकालने के बाद अपने यहां पर स्टोर करके रखा हुआ है कि जब उचित दाम मिलेगा तो तब हम उसको बाजार में ले जाएंगे। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ उन्हें सरकार की उदासीनता भी झेलनी पड़ती है। सोयाबीन के दामों में भारी कमी आई है इसका उल्लेख मैंने ही नहीं किया हमारे अन्य बाकी साथियों ने भी किया है। किसानों का लाभ तो छोड़िए लेकिन

बहुत मुश्किलें भी उनको झेलनी पड़ रही हैं। आज समर्थन मूल्य के नीचे ही सोयाबीन बाजार में बिक रहा है जिसके फलस्वरूप खाद्य तेल में कमी होगी, खाद्य तेल का आयात करना पड़ेगा अगर हम सोयाबीन की तरफ उचित ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोयाबीन के मूल्य में एक प्रकार की काफी गिरावट आई है। इसका एक मुख्य कारण जो मुझे लगता है वह यह है कि अमेरिका और अर्जेण्टीना में बम्पर क्रॉप हुई है उस क्रॉप की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोयाबीन का काफी माल पड़ा हुआ है। ऐसे समय में सिर्फ अपने देश और अपने देश के बाजार से इस तरह की आशा लगा कर बैठे रहना मुझे लगता है कि इससे सोयाबीन के उत्पादकों को बहुत सारा नुकसान होने की संभावना है। सर, मैं यह कह सकती हूं कि सोयाबीन का अन्य रूपों में अगर हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सोया आटा, स्नेक्स, बेकरी और बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें अगर हम इसका प्रयोग करें तो मुझे लगता है कि भविष्य में सोयाबीन को एक अच्छा मार्केट मिल सकता है। इस से हम न केवल किसान को सहारा दे पाएंगे परन्तु अपने देश के लोगों को भी कम दामों पर अधिक पौष्टिक भोजन भी प्रदान कर सकेंगे। आज सोया उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं, सरकार की तरफ एक आशा भरी नजर से देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम इस विषय में सरकार का ध्यान भी आकर्षित करते रहे हैं। मेरे विचार से इस दिशा में सरकार को तेजी से कार्य करना चाहिए क्योंकि इस व्यवसाय से लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। मेरी सरकार से यह गुजारिश रहेगी कि सोयाबीन के समर्थन मूल्य की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आपसे उम्मीद करूंगी कि उनको आप कुछ लाभ देने की कोशिश करें। मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि महाराष्ट्र राज्य 0.26 सोयाबीन का उत्पादन कर रहा है। आप देखेंगे कि इस वक्त महाराष्ट्र काफी बड़े पैमाने पर अपनी उपज बढ़ा रहा है, लगभग 15 मीट्रिक टन अपना उत्पादन बढ़ाने की ओर जा रहा है। अगर माननीय मंत्री जी ने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जैसे कपास के बारे में हमने देखा - हम अपने देश में भिन्न-भिन्न प्रांतों में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं के मामले सुनते रहे हैं। विदर्भ का किसान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है क्योंकि उसको अपने उत्पादन का उचित दाम नहीं मिल रहा है, विदर्भ के साथ मध्य प्रदेश के अनेक काश्तकारों को अगर उनके उत्पादन का उचित दाम नहीं मिलेगा तो काश्तकारों द्वारा आत्महत्या करने जैसी घटनाएं इस देश में बढ़ती जायेंगी और ऐसी खबरें आप के कानों तक एक न एक दिन अवश्य पहुंच जायेंगी।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि विदर्भ में नेफेड का कोई नेटवर्क नहीं है, नेफेड का कोई कार्यालय नहीं है। उसी वजह से काश्तकारों को दलालों के मार्फत, बिचौलियों की मार्फत अपना उत्पादित माल बेचना पड़ता है। काश्तकारों को दलालों के मार्फत अपना

उत्पादित माल बेचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरी मांग है कि नेफेड का एक वफ्तर या उसकी एक शाखा आप विदर्भ में स्थापित करने की कोशिश करें तो विदर्भ के किसानों को इससे काफी राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इतना ही कहूंगी मंत्री महोदय कि विदर्भ को ही नहीं बल्कि जहां-जहां सोयाबीन होता है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्णाटक के कुछ भाग इन सारे इलाकों में सोयाबीन के उत्पादन को देखते हुए, उसका उत्पादन करने वाले काश्तकारों को आप सही मूल्य दिलवाने का प्रयास करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, जो सोयाबीन उत्पादक हैं और सोयाबीन उद्योग में लगे हुए लोग हैं, उनके सामने जो इस वर्ष कठिनाई उत्पन्न हुई है और इस संबंध में माननीय सदस्यों ने जो बातें सदन में रखी हैं, उनमें से कुछ का उत्तर तो मूल वक्तव्य में ही दिया गया है।

(उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर) पीठासीन हुए)

लेकिन उसके अलावा कुछ सवाल उभरकर सामने जरूर आए हैं। अब एक सवाल जो कहा गया है कि मिनीमम सपोर्ट प्राइस सोयाबीन का कम है। यह बात शुरू में कही गई कि मध्य प्रदेश शासन ने जो अनुशंसा की थी उसके हिसाब से नहीं रखा गया है। मेरे मित्र सुरेश पचौरी जी को अच्छी तरह से मालूम है कि सीएसीपी मूल्य की अनुशंसा करती है और उसमें कई बातों का ख्याल रखा जाता है। उसमें इसका भी ख्याल रखा जाता है कि जो प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, उनकी क्या राय है। सोयाबीन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही उत्पादित होता है, ऐसा नहीं है। कई राज्यों में सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है। राज्य सरकारों की जो सिफारिशें होती हैं, उन पर भी गौर किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, उनको ख्याल में रखते हुए अंतत्वोगत्वा सीएसीपी सिफारिश करती है और उसके अनुसार सरकार निर्णय लेती है। पिछली बार की तुलना में इस साल काफी वृद्धि की गई है। इस बार 845 रुपया प्रति क्विंटल मिनीमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया गया है ।मेरे हिसाब से मिनीमम सपोर्ट प्राइस को लेकर कोई शिकायत देश में नहीं हो रही है। दिक्कत यह उत्पन्न हो गई है कि अब तक सोयाबीन मिनीमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर ही बाजार में बिकता था और पिछली बार कुछ थोड़ा-सा अंतिम महीनों में हुआ। लेकिन इस बार खासतौर से इसका जो सीजन है इसमें जो मिनीमम सपोर्ट प्राइस है उसके नीचे सोयाबीन बाजार में बिक रही है, उसको लेकर के परेशानी हुई है। **(व्यवधान)**

श्री सुरेश पचौरी : इसके पहले 1075 रुपया प्रति क्विंटल था। आपने जो 845 रुपया प्रति क्विंटल का जिक्र किया है वह अभी पीले सोयाबीन के लिए है।

श्री नीतीश कुमारः इस बार सोयाबीन 845 रुपया प्रति क्विंटल है और पिछली बार मेरे ख्याल से इससे कम था। **(व्यवधान)**

श्री सुरेश पचौरी : नहीं, 1075 रुपया था।

कुमारी सरोज खापर्डे : 845 रुपये से ज्यादा था।

श्री नीतीश कुमार : पिछले तीन वर्षों में जो सपोर्ट प्राइस रहा है, वह रहा है, 1998-99 में 795 रुपए, 1997-98 में 750 रुपए और 1996-97 में 700 रुपए। यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार द्वारा फिक्स किया जाता रहा है। लेकिन समस्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस की नहीं है, समस्या यह है कि पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बाजार भाव काफी ऊपर था और किसानों को कोई परेशानी नहीं थी। अब समस्या यह आई है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे बाजार भाव चल रहा है। आप और जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं, बाजार भाव का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस का उल्लेख नहीं कर रहे है, पहले बाजार भाव मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर था और इस बार बाजार भाव मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे चला गया है इसलिए सपोर्ट प्राइस स्कीम के अंतर्गत सरकार इन्टरवीन कर रही है और किसानों से सोयाबीन खरीद रही है जोकि नेफेड द्वारा खरीदा जा रहा है। नेफेड, जो राज्य सरकार के मार्केटिंग फैडरेशन्स है, कोआपरेटिव फैडरेशन्स है उसके माध्यम से परचेज करती है। यहां पर जैसे महाराष्ट्र का जिक्र किया गया, महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन के जरिए नेफेड इस काम को करती है, राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन के जरिए राजस्थान में काम करती है और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश को-आपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन और माध्यप्रदेश कोआपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फैडरेशन के जरिए करती है । जहां तक प्रोक्योरमेंट सैन्टर्स की बात है, प्रोक्योरमेंट सैन्टर्स काफी हैं, मध्य प्रदेश में 413 हैं, राजस्थान में 35 हैं और महाराष्ट्र में 62 हैं। ये को-आरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन्स हैं जिनके माध्यम से नेफेड आपरेट करती है। इनके कुछ सैन्टर्स हैं जिनको देखने के लिए वहां एजेन्ट्स भी मुकर्रर होते हैं। अब आपकी समस्या आई है और जहां तक आप ब्लैक की बात का सवाल कर रहे थे तो ब्लैक का पिछले साल 98-99 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस 705 रुपए था और इस बार 755 रुपए है। अभी यहां पर एक साथी ने जिक्र किया, अब वे चले भी गए हैं, यहां से पहले हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। जो हरा सोयाबीन है, उसके बारे में निर्देश है कि उसको पीला सोयाबीन मानकर उसकी खरीद की जाए। इसलिए उनके सवाल पर कोई समस्या नहीं है।

महाराष्ट्र में नेफेड की तीन ब्रान्च हैं। आपने जो सवाल उठाया था, मुम्बई, नासिक और पुणे, इनके अलावा भी आप लोगों ने जो जिक्र किया कि विदर्भ में

श्री एन.के.पी. साल्वे (महाराष्ट्र): मंत्री जी, सबसे ज्यादा सोयाबीन विदर्भ में होता है।

श्री नीतीश कुमार : मैं इसके ऊपर आ रहा हूं। अगर नेफेड का वहा इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके चलते कोई परेशानी हो रही है तो इसके लिए नेफेड से बात करके उस स्थिति को ठीक करा दिया जाएगा। लेकिन प्रोक्योरमेंट वहां के मार्केटिंग फैडरेशन के जरिए ही किया जाता है।

आपने यहां दूसरा सवाल उठाया था नार्म्स को रिलेक्स करने के लिए, ऐसी बात नहीं है कि नार्म्स को रिलेक्स नहीं किया गया, नार्म्स को काफी रिलेक्स किया गया है । जो पहले ये नार्म्स थे, फेयर एवरेज क्वालिटी के, उसको कई मायनों में रिलेक्स किया गया। अब जहां तक मोइश्चर कंटेंट का सवाल है, तो वह 12 प्रतिशत पहले भी था और 12 प्रतिशत अब भी है। लेकिन जहां तक डिस्कलर्ड बीन्स का सवाल है , पहले 3 प्रतिशत था, उसको बढ़ाकर अब 5 प्रतिशत कर दिया है। इस तरह से कुछ और चीजों में जैसे फॉरेन मैटर कुछ हो गया तो वह एक प्रतिशत था, उसको बढ़ाकर दो प्रतिशत किया गया। अगर कुछ मैकेनिकली डेमेज बीन्स अगर हों तो उनको दस से पन्द्रह किया गया है और जो डेमेज्ड हैं या अंदर से दाना खोखला हो जाए तो उसमें भी जो पहले दो प्रतिशत था उसको रिलेक्स करके तीन प्रतिशत किया गया है। जहां तक नार्म्स को रिलेक्स करने की बात है, इन सारे बिंदुओं पर जो बातें अखबारों में आई, वहां यह मांग थी और यह जो सपोर्ट प्राइस स्कीम है इसके माध्यम से सारे काम हुए और जिसका मैंने जिक्र किया कि एक खास तारीख तक जो कुछ भी प्रोक्योरमेंट हो चुका है, इसके आगे भी प्रोक्योरमेंट जारी है। हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जितने भी प्रोक्योरमेंट की जरूरत पड़ेगी यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत जो भी हमारे सैन्टर्स पर आयेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, किसान की सोयाबीन को लौटाया नहीं जाएगा। उसको खरीदा जाएगा यह सरकार का निर्देश है । नेफेड को जितना भी पैसा देने की जरूरत थी उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी गई है । नेफेड को तीन सौ करोड़ रुपया दिया जा चुका है इसके अतिरिक्त भी जो प्राइस सपोर्ट स्कीम में घाटा आता है उस घाटे को भी सरकार झेलती है, बियर करती है । लेकिन यह कहना कि जो सामान आ रहा है, किसको भेज रहे हैं, सरकार नहीं ले रही है या नेफेड नहीं ले रही है, यह कहना गलत है । हमें जो फिगर्स उपलब्ध कराए गए हैं इससे आपको इस बात का संकेत मिल जाएगा कि आवक कम होता जा रहा है ।

कुमारी सरोज खापर्डे : लेकिन...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : जरा सुन लीजिए । आप इन फिगर्स को जान लीजिए तो आपको पता लग जाएगा लेकिन पहले मैं इस प्रश्न को पूरा कर दूं । नवम्बर के आखिरी सप्ताह में

47,000 मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट हुआ, दूसरे सप्ताह में 50,000 मीट्रिक टन और तीसरे सप्ताह में 45,000 मीट्रिक टन हुआ है । जो भी सोयाबीन आया था उसे खरीदा गया है और जो भी आएगा उसे भी खरीदा जाएगा । इस मामले में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी ।

मध्य प्रदेश को लेकर एक सवाल छेड़ा गया था । मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से फोन पर बात हुई थी । उनकी समस्या के समाधान के लिए हमने तत्काल वहां के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को कहा कि जो कन्सर्न्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके अधिकारियों के साथ एक मीटिंग बुलाइए । उस मीटिंग में मध्य प्रदेश, राजस्थान के अधिकारी, नेफैड, एन.सी.डी.सी. के अधिकारी, तथा जिन अधिकारियों आवश्यकता थी, वे सब मौजूद थे । उसके बाद नौ तारीख को मेरी और मुख्यमंत्री जी की बात हुई । जो भी प्रश्न थे उनको सेटल कर दिया गया । एक समस्या स्टोरेज की थी । स्टोरेज केपेसिटी के बारे में तीन तारीख की जो मीटिंग थी उसमें आइडेंटिफाइ किया गया था कि कहां-कहां पर इसको स्टोर किया जा सकता है । एन.सी.डी.सी. का भी एक ऑफर था तथा और भी जो दूसरी संस्थाओं के जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि इसको किर्या जाए । परंतु जो भी खरीदा जा रहा है उसे स्टोर करके ज्यादा दिनों तक रखना संभव नहीं है । इस बारे में मेरा एक विचार था कि इसको क्रश करके ऑयल बनाया जाए लेकिन क्रशिंग की केपेसिटी ज्यादा नहीं थी अतः इसे लेकर एक चर्चा हुई और मध्य प्रदेश में क्रशिंग केपेसिटी को-आपरेटिव सेक्टर या सरकारी क्षेत्र में हो, जिनको वे रिकमेंड करेंगे, सात सौ उसका रेट निर्धारित किया गया है, जिसको फिगर मे दर्शाया गया है 755...(**व्यवधान**) । उनके साथ बातचीत करके उनका जो भी खर्च आता है उसे देखकर उतना ही पैसा क्रशिंग के लिए हो, एक एम.ओ.यू. का हस्ताक्षर भी हो गया है अब क्रशिंग का भी काम होगा ताकि इसको स्टोरेज करने की समस्या नहीं रह जाए, इसका भी ध्यान रखा गया है ।

अब सवाल यह है कि यह समस्या आई ही क्यों ? सोयाबीन का जो दाम हमें मिलता था, जिसकी वजह से सोयाबीन इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी उसका एक कारण यह था कि जो डिऑयल्ड केक है उसकी मांग बहुत ज्यादा थी, साउथ-ईस्ट एशियन कंट्रीज इसकी सबसे बड़ी मार्केट है । इन जगहों पर जो दाम मिलता था वह घट गया है । कुछ तो उनके आर्थिक संकट के कारण । अमरीका में जनरेटिड मोडिफाइड सोयाबीन दे रहे हैं । वहां वे भेज रहे हैं हालांकि यूरोपियन ने जनरेटिड मोडिफाइड नकारा है, यह एक अलग बात है परंतु हमारे सोयाबीन का स्तर जनरेटिड मोडिफाइड जैसा नहीं है अतः इसकी मांग अपनी जगह पर रहेगी लेकिन और जो मार्केट वहां पर थी उसका भी भाव गिरा है । उसका असर यहां पड़ रहा है

और हमारे जो सोयाबीन इंडस्ट्री के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इस पर हम खरीदकर मुनाफा नहीं कमा सकते हैं । यह परस्पर विरोधी स्थिति है ।

कुमारी सरोज खापर्डे : मैं, इस पर कुछ कहना चाहती हूं । क्या आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढा सकते हैं ताकि किसानों को राहत मिल सके ।

श्री नीतीश कुमार : क्या आपको मालूम है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज पर कितना घाटा हुआ है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाना किसी प्रकार भी संभव नहीं है। यह खरीद कर अगर ऐसे ही बेचा जाए तो घाटा होगा । जो तैयार किया है, क्रश करके बेचा जाएगा तो तीन सौ रुपये प्रति यूनिट प्रोक्योरमेंट यूनिट के हिसाब से घाटा है । तो आप समझ सकते हैं कि यह घाटा कितना आएगा और अंत में सरकार को ही देना है । यह छोटी-मोटी राशि नहीं है, बहुत बड़ी राशि है । लेकिन इतना जरूर है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया गया है, उसके लिए हमारा कमिटमेंट है । जो भी बाजार में माल आएगा, सपोर्ट प्राइस पर उसको परचेज़ किया जाएगा । आज समस्या यह आ गई है कि बाहर से सस्ते दर पर सोया आयल आ रहा है । पिछली बार कुछ रेट था तो इस बार अगर आप देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं, हमारे यहां पर जो आयातित आयल है, उसका दाम 17835 प्रति टन पड़ता है और जो हमारे पास यहां उपलब्ध है अपने यहां का, उसका रेट बहुत ज्यादा है । हमारे यहां प्रोडक्शन की कास्ट अधिक है इसलिए बाहर से मंगाए जाने वाले तेल से यह महंगा पड़ता है । नतीजा यह है कि बाहर का सस्ता तेल लोग आयात कर रहे हैं । जब किसी चीज़ का आपने लिब्रलाइज़ेशन कर दिया, उसमें छूट दे दी, इसके बाद डब्ल्यु.टी.ओ. के एग्रीमेंट की बात की तो फिर उसी एक रास्ते से हम कुछ कर सकते हैं । टेरिफ बैरियर ही एकमात्र रास्ता है । टेरिफ बढ़ाने की तरफ हम लोग कदम उठाने जा रहे हैं । सरकार इस पर सचेत है कि जो बाहर से आ रहा है वह सस्ता पड़ता है । हमारे यहां के जो प्रोडक्शन के आंकड़े हैं, उनके अनुसार 25000 रुपये प्रति टन पड़ता है । ...(**व्यवधान**)

श्री सुरेश पचौरी : मैं माननीय मंत्री जी की बात बड़े गौर से सुन रहा था । जहां हम लोग इंडीजीनियस टेक्नोलोजी की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, वहां हम आंकड़ों के जाल में उलझ जाएं और यह कहें कि जो आयात हो रहा है, उसकी कीमत कम है, हमारे यहां जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी कीमत ज्यादा आंकी जा रही है । इसका आशय यह नहीं है कि हम अपने यहां प्रोडक्शन को प्रोत्साहन न दें प्रश्न इस बात का है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मेरा आपसे आग्रह है कि कुछ ऐसे उपाय हम निकालें जिससे हमारे यहां का किसान **हतोत्साहित न हो** । हमारे यहां का किसान सोयाबीन का

उत्पादन करने में दिलचस्पी दिखाए और उसको लाभकारी मूल्य मिल पाए वरन् हम लोग दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे । मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां की गुणवत्ता अच्छी होगी ...(**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार : गुणवत्ता अच्छी है, यह बात नहीं है । मैं दूसरी बात कह रहा था। यहां बाहर से सस्ता तेल आ रहा है । हमारे यहां का जो सोया आयल है, यह महंगा है । इसमें न किसान का कसूर है और किसी दूसरे का कसूर है । इसलिए हमें टेरिफ बैरियर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, इम्पोर्ट ड्युटी बढ़ानी पड़ेगी । इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है (**व्यवधान**)

श्री सुरेश पचौरी :तो कराइये न ताकि किसान को सोयाबीन की उचित कीमत मिले । (**व्यवधान**)

कुमारी सरोज खापर्डे : आपको जो करना है वह करिये लेकिन इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसान को उनके उत्पाद की उचित कीमत मिले । (**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार : यही बात मैं कह रहा हूं । दूसरी बात यह कह रहा हूं कि यहां के किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिये । उनके इंटेरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा । इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने हैं, सरकार उठाएगी । अगर बाहर से सस्ता तेल आता है तो उसके कई और कारण हैं । हमारे यहां का सोयाबीन आयल बेहतर है । हमारा सोयाबीन जेनेटिकली मोडिफाइड नहीं है । आज जेनेटिकली मोडिफाइड सोयाबीन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार की शंकाएं व्यक्त की गई हैं । हमारा सोयाबीन उनसे बेहतर है, हम दावे के साथ कह सकते हैं और इस सवाल पर...(**व्यवधान**)

कुमारी सरोज खापर्डे : इसीलिए मैंने यह मांग की है कि आपको प्राइस बढ़ाना चाहिये। इस चीज़ को मंत्री जी ने खुद एडमिट किया कि हिन्दुस्तान का सोयाबीन कंपेरेटिव्ली अर्जेनटीना और अमरीका से बहुत बढ़िया है, उत्कृष्ट प्रकार का है । इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि यहां के किसानों के लिए पर्टिकुलरली जो सोयाबीन उगाते हैं, उनको अगर मिनिमम प्राइस थोड़ा बढ़ा कर दे दें तो उनका ज्यादा हौसला बढ़ेगा ।

श्री नीतीश कुमार : इस चीज का जवाब मैं दे चुका हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करने का .. (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : I think we are just repeating. Let the hon. Minister complete. There seems to be no divergence of opinion. Let us not repeat the points.

श्री नीतीश कुमार : इसलिए इस बारे में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करने का जो मेकेनिज्म है, उसका जो प्रोसीजर है, उससे यह सदन बिल्कुल अवगत है और इस मामले में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बढ़ाया है। इसका हमने जिक्र किया है। आज सवाल उसका नहीं है। सवाल है कि यहां के किसानों के हित की रक्षा की जाए और इसके लिए हमारे सामने टैरिफ बैरियर या टैरिफ रेस्ट्रिक्शसन का रास्ता एडाप्ट करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी और इस दिशा में हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। हम उस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

इसके अलावा इस समय जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है इसको हम टेम्पोरेरी फेज मानते हैं। इससे देश उबर जाएगा, किसान उबर जाएंगे। मेरे ख्याल से कुछ समय पर वर्षा नहीं हुई, बाद में ज्यादा वर्षा हो गयी क्योंकि सबसे बड़ा इलाका मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक इसका प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में है और वहां यह अफेक्टेड हुआ है तथा इसके चलते कई बार यह समस्या आई है। यह हर बार की समस्या नहीं है। हमारा जो एवरेज एरिया है, कवरेज है, वह घटा नहीं है। पिछले वर्ष की तुलना में कुछ घटा जरूर है लेकिन जो एवरेज हमारा है उससे घटा नहीं है, उससे ज्यादा ही है इस बार। इसलिए इस मामले में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। सोयाबीन का उत्पादन बढ़ेगा। इसकी उत्पादकता बढ़े इस पर भी काम चल रहा है और किसानों को जो भी जानकारी चाहिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को क्या कदम उठाने चाहिए, उन सब चीजों के बारे में और ज्यादा जानकारी राज्य सरकारें दें। यहां भी जो हमारे साइंटिस्ट हैं - उसके बारे में जो कुछ भी प्राप्त करने जा रहे हैं, हासिल कर पा रहे हैं उसको उन तक पहुंचाने के लिए अपेक्षित कदम उठाया जाएगा।

एक सवाल उठाया गया कि हम सोयाबीन का आयल सीड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सोयाबीन का इस्तेमाल और दूसरी तरह से होना चाहिए। इसको प्रोपेगेट करने की जरूरत है। प्रोपेगेट किया जाना चाहिए जैसे चाहे सोया आटा हो। मैं खुद इसका प्रयोग करता रहा हूं। सोयाबीन का दाल के रूप में हम लोग प्रयोग करते रहे हैं। इसका और भी ज्यादा प्रयोग हो उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि सिर्फ आयल सीड के रूप में ही इसका इस्तेमाल न हो। हमारे यहां भी डीआयल्ड केक का इस्तेमाल बढ़े। लेकिन दिक्कत यह है कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा दाम मिलता है इसलिए हमारे यहां डीआयल्ड केक का दाम ज्यादा है। तो यहां उसको एनीमल फीड के रूप में इस्तेमाल करने में आर्थिक कठिनाइयां आती हैं। तो कुल मिलाकर जो सोयाबीन के सामने समस्या आई है उसके प्रति सरकार सचेत है और हर तरह से कदम बढ़ाया जा रहा है। मैं इसको दोहराकर कहना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में किसानों के हित का कोई भी नुक्सान नहीं होगा। उनके हित पर असर न पड़े, उनका अहित

न हो इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने हैं वे उठाए जाएंगे। इतना ही मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Thank you, Mr. Minister. I am confident that this House feels that whatever pre-emptive measures you are proposing to take, they must be taken in an expeditious way. I adjourn the House till 3.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at forty-eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at one minute past three of the clock. The Vice-Chairman, (Shri Adhik Shirodkar) in the Chair.

THE MIZORAM UNIVERSITY BILL, 1999

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Dr. Murli Manohar Joshi to move for leave to introduce the Mizoram University Bill, 1999.

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा0 मुरली मनोहर जोशी) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मिजोरम में अध्यापन और सम्बद्धक विश्वविद्यालय की स्थापना और उस का निगमन करने तथा उस से संबंधित या उस के आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

The question was put and the motion was adopted.

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

THE REPEALING AND AMENDING BILL, 1999

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Shri Ram Jethmalani to move for leave to introduce the Repealing and Amending Bill, 1999.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE